



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2017/वैशाख 21, 1939

No. 1336]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2017/VAISAKHA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का.आ.1513(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139कक की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि धारा 139कक के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसके पास आधार नंबर या नामांकन पहचान नहीं है और जो,—

- (i) असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्य में निवास करता है ;
- (ii) आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी है ;
- (iii) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है ; और
- (iv) भारत का नागरिक नहीं है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 37/2017, फा.सं. 370133/6/2017-टीपीएल]

अभिषेक गौतम, अवर सचिव